न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 134 / 2022

1 श्रीमती सोनी देवी स्त्री
2 सरेश कुमार पुत्र स्व. दीपचन्द जाति जाट निवासी मोई सद्दा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 भोली देवी पुत्री रामदेव पत्नी श्रीचन्द उम्र 72 साल जाति जाट निवासी मोई सद्दा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.। हाल आबाद कारीधारणी जिला भिवानी हरियाणा।
2 शकुन्तला पुत्री दीपचन्द पत्नी प्रमोद कुमार उम्र 36 साल जाति जाट निवासी मोई सद्दा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज. हाल आबाद लुहारू जिला भिवानी हरियाणा।
3 हबीब अली पुत्र बदरूदीन उम्र 45 साल जाति मनियार मुसलमान निवासी खेड़ी राडान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
4 मंजूर अली पुत्र इकरामुदीन जाति मणियार मुसलमान निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
5 अनिता पुत्री रोशनी पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी मेड़ा तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी हरियाणा।
6 चूकि देवी पत्नी मीरसिंह उम्र 65 साल
7 सुशीला पुत्री दीपचन्द जाति जाट निवासी मोई सद्दा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
8 बिटुं पुत्री
9 खजानसिंह पुत्र
10 धर्मा पुत्र
11 सत्यवीर पुत्र
12 वीरसिंह पुत्र
13 राजु पुत्र
14 धर्मवीर पुत्र

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

15 विनोद पुत्र रोशन जाति जाट निवासी मोई सद्दा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
16 बंटी पुत्र रजनवण नवीरा रामेदव जाति जाट निवासी सांवलोद तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
17 मणी पुत्री रजवण नवीरा रामदेव जाति जाट निवासी सांवलोद तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
18 रामचन्द्र पुत्र रोशन जाति जाट निवासी मोई सद्दा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.। दौराने अपील मृत्यु
18/1 संजिता पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी मोई सद्दा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
18/2 सृष्टि पुत्री रामचन्द्र नाबालिग जरिये वलि कुदरती माता संजिता पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी मोई सद्दा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
19 विकास कुमार पुत्र मीरसिंह
20 सुनिता पुत्री रोशनी जाति जाट निवासी मोई सद्दा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
21 सायमा पुत्री मीरसिंह जाति जाट निवासी मोई सद्दा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
22 महेश पुत्र सांवत जाति जाट निवासी मोई सद्दा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.। दौराने दावा मृत्यु
22/1 कमलेश पुत्री महेश
22/2 सौरभ पुत्र महेश
22/3 शुभम पुत्री महेश जाति जाट निवासी मोई सद्दा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
23 इन्द्र पुत्री सांवत
24 लक्ष्मी पुत्री सांवत
25 विनोद पुत्र सांवत जाति जाट निवासी गावड़ी तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
26 लैण्ड होल्डर एवं तहसीलदार भू अभिलेख बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
27 उप पंजीयक बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
28 प्रबन्धक बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बनवास सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्त. अधि. 1955
अपील बखिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.09.2022
बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना
जिला झुन्झुनूं मुकदमा उनवानी भोली देवी बनाम हबीब अली वगै.
मुकदमा नम्बर 84/2020 दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
व आज्ञापक आदेश

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र भाम्बु, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कमलेश , अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 20/6/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 84/2020 में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 144 रकबा 7.44 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम मोई सद्दा तहत तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त आशय का वाद पत्र पेश किया जिस वाद पत्र में रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 व 4 ने जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया। विचारण न्यायालय ने दावा व प्रतिदावा को विचाराधीन निर्णय पारित कर दिनांक 07.09.2022 को प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि उक्त प्रकरण में विवादित जमीन में अपीलान्ट व अन्य दीपचन्द के वारिसान का संयुक्त रूप से 1/8 हक हिस्सा है एवं अपनी सुविधा से

अनिल कुमार RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन सहायक अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

काश्त करते है। विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की। विचारण न्यायालय के समक्ष शेष प्रतिवादी की तामील रजिस्टर्ड डाक करवाये जाने का आदेश था उसके बावजूद भी अपीलान्ट की तामील बाबत नोटिस जरिये डाक भिजवाया जाने बाबत पत्रावली में रसीद मौजुद है लेकिन अपीलान्ट को मौजुदा वाद पत्र के तलबी बाबत नोटिस जरिये डाक या साधारण तथा कोर्ट नोटिस कभी भी प्राप्त नहीं हुये इस आशय की मूल डाक रजिस्टर्ड पत्र विचारण न्यायालय की पत्रावली में मौजुदा है इस प्रकार विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में सिविल प्रक्रिया संहिता के आवश्यक प्रावधानों की पालना नहीं की। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से फुली देवी द्वारा प्रस्तुत आदेश 01 नियम 10सीपीसी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया है तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र भी उसी दिन निस्तारित किया है तथा उसी दिन संशोधित टाईटल प्राप्त कर उसी दिन विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। उपरोक्त समस्त प्रक्रिया एक दिन होने से यह साफ जाहिर है कि पीठासीन अधिकारी की क्या मानसिकता रही होगी। अपीलान्ट की बिना तामील के ही गलत रूप से दिनांक 07.09.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। इस प्रकार विचाराधीन निर्णय व डिक्री खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायलय के समक्ष उक्त जमीन के बाबत पहले से एक दुसरा दावा फुलीदेवी बनाम सांवतसिंह मु.नं. 39/2019 विचाराधीन है फिर भी विचारण न्यायालय ने मौजुदा प्रकरण में आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी गलती की है कानूनन दोनों दावा को एक साथ समेकित कर अंतिम निर्णय पारित करना चाहिये था। ऐसा नहीं कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में सभी प्रतिवादीगण की विधिक प्रक्रिया अनुसार सम्यक तामील करवाई गई है। विचारण न्यायालय में पक्षकारों के मध्य विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादी की ओर से काउंटर क्लेम में भी विभाजन का ही अनुतोष चाहा गया था। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से

विस्तृत विवेचन कर विभाजन की बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। पक्षकारों के समक्ष विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर आपत्ति प्रस्तुत करने का हक अधिकार है। विचारण न्यायालय में कुल 25 प्रतिवादीगण थे। इनमें से केवल प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की ओर से विचाराधीन निर्णय को चुनौती दी गई है। शेष प्रतिवादीगण ने विभाजन की प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी अपीलान्ट के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से सम्यक तामील मानी गई है। विचारण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार अपीलान्ट के साधारण नोटिस जारी होने का कोई अंकन नहीं है। रजिस्टर्ड डाक से तामील करवाये जाने के आदेश आदेशिका पर नहीं है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट के नोटिस जारी होने की प्रति एवं रसीद तो संलग्न है किन्तु तामीली रिपोर्ट/स्टेटस रिपोर्ट संलग्न नहीं है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब दावा एवं काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी कायम किये बिना साक्ष्य प्राप्त किये बिना, विचाराधीन निर्णय से एक ही दिनांक 07.09.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही कर, कायम मुकाम स्वीकार कर, आदेश 01 नियम 10 का आवेदन खारिज कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा सम्यक तामील करवाये बिना विधिक प्रकिया अनुसार तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर सुनवाई किये बिना विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त कर, तनकी कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 20/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर